

# संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापुर मंडल



मासिक संख्या बुलेटिन नं -01, मई - 2018.

\*\*\*\*\*

हमारा लक्ष्य दुर्घटना विहीन द्रुत रेल संचालन

\*\*\*\*\*

सोलापुर मंडल पर माह अप्रैल, 2018 में कुल 04 घटनाएं / डीरेलमेंट (रेल पटरी से ) उतरने की घटनाएं घटित हुए। इन घटनाओं / डीरेलमेंट की प्रथमदृष्टया कारण निम्नानुसार हैं :-

1. दिनांक 02/04/2018 को दौंड यार्ड में गाड़ी नं 28444-डब्ल्यू ए जी -7 ( के ब्रेड जे) कॉनकॉर/बीओएसटी/ई का वैगन नंबर दक्षिण पश्चिम रेल - 21150853803 बीओएसटी एचएसएमआई का डीरेलमेंट।

कारण : गाड़ी का संपूर्ण लोड पार होने से पहले प्वाइंट नंबर 21 यू जी रिवर्स स्थिति से नॉर्मल स्थिति की ओर संचालन (गलत संचालन) के कारण दो रुट हुए।

जिम्मेवारी : दौंड यार्ड में कार्यरत सहायक यार्ड मास्टर और प्वाइंटसमैन।

नियम का उल्लंघन : सहायक नियम - 5.14.1-3 शुद्धिपत्र संख्या - 13/17.

2. दिनांक 11/04/2018 को पारेवाड़ी और जींतीरोड खंड में केईबी + एसटी लाँग हॉल ट्रेन के वैगन नंबर दक्षिण मध्य रेल 30099286429 बीसीएनएमआई का सीबीसी हेड टूटा।

कारण : 1) ट्रेलिंग लोड के लोकोपायलट द्वारा डायनॉमिक ब्रेक लगया गया जो संयुक्त कार्यविधि आदेश के विरुद्ध है, जिसके कारण सीबीसी पर अत्यधिक (भार) लोड पडा।  
2) कास्टिंग / निर्माण त्रुटि के कारण सीबीसी हेड टूट गया, जो अत्यधिक (भार) लोड रोक नहीं सका।

जिम्मेवारी : 1) सीबीसी सामग्री की खराबी  
2) ट्रेलिंग लोको के लोको पायलट

नियम का उल्लंघन :- लाँग हॉल ट्रेन के कार्यसंचालन संबंधी मध्य रेल द्वारा जारी संयुक्त कार्यविधि आदेश की मद संख्या 5.2 ( ट्रेलिंग लोड के लोको पायलट द्वारा डायनैमिक ब्रेक लगाना । )

3. दिनांक 15/04/2018 को सोलापुर यार्ड के प्वाइंट नंबर 105, डिरेलिंग स्विच पर लोको नंबर - 11429 डब्ल्यू डी एम 3 डी ( पुणे बेस ) का डिरेलमेंट।

**कारण :** लोको पायलट द्वारा शंट सिगनल नंबर एसएच - 6 के संकेत की ओर ध्यान नहीं दिया गया और प्वाइंटसमैन द्वारा खतरे का सिगनल प्रदर्शित नहीं किया गया।

**जिम्मेवारी :** 1) लोको पायलट (शंटर) जो शंट सिगनल नंबर एस एच - 6 की संकेत की ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण।  
2) प्वाइंटसमैन द्वारा खतरे का सिगनल प्रदर्शित नहीं किए जाने के कारण।

**नियम का उल्लंघन :** साधारण नियम - 3.78

4. दिनांक 03/05/2018 को दुधनी स्टेशन पर अप मेन लाइन स्टार्टर का उखाड़ना, खाली वैगन (वैगन नंबर पूर्व मध्य रेल - 22101212113) बीओएक्सएनएचएल का फ्लैप डोअर सिगनल खम्भा नंबर-52 (मेन लाइन स्टार्टर ) से टकराया गया, जिसके कारण सिगनल खम्भा उखड़ गया।

**कारण :** मेसर्स झुआरी सीमेंट कारखाना में अनलोडिंग के बाद वैगन नंबर पूर्व मध्य रेल 101212113 का फ्लैप डोअर ठीक तरह से बंद नहीं किए जाने के कारण।

**जिम्मेवारी :** 1) मुख्य माल पर्यवेक्षक द्वारा फ्लैप डोअर ठीक तरह से बंद किए जाने संबंधी सुनिश्चित नहीं किया गया।  
2) लोको पायलट/गार्ड द्वारा जी डी आर जांच के दौरान सावधानियां नहीं बरती गई।

**नियम का उल्लंघन :** रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 07/04/2006 का पत्र संख्या - 2005 / एम (एन) 951/बी.

\*\*\*\*\*

**लोको रिवर्सल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां :**

जब कभी लोको लगाया जाता है / निकाला जाता है या कोचिंग गाड़ी को रिवर्स करते समय मध्य रेल, मुख्यालय द्वारा जारी दिनांक 17/04/2018 के संयुक्त कार्यविधि आदेश में विहित पूर्वोपायों का अनुपालन किया जाना चाहिए / सावधानियां बरतनी चाहिए।

**// सतर्क कर्मचारी ही संरक्षा का सर्वोत्तम साधन है //**

**( सुरेश कुमार एन.टी )**

**वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, सोलापुर**